"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ़ 30, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2011

सूचना

क्रमांक एफ 10-32/2011/वाक./पांच (41).—राज्य शासन का यह विचार है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अनुसूची-2 की प्रविष्टि क्रमांक 59 के पश्चात् नवीन प्रविष्टि क्रमांक 60 "ए.सी.एस.आर. कंडक्टर एवं ए.ए.ए. कंडक्टर" पर 5 प्रतिशत की दर का प्रावधान किया जाए.

2. यह पूर्व सूचना छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा 9 की उपधारा (2) में की गई अपेक्षा के अनुसरण में दी जा रही है.

Raipur, the 21st July 2011

NOTICE

No. F 10-32/2011/CT/V(41).—The State Government intend to make new entry No. 60 after entry No. 59 the ACSR Conductor and AAA Conductor, rate of tax 5 percent in the Schedule-II under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

2. This notice is being given in pursuance of the requirement under sub-section (2) of section 9 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.